

नियम 20 : रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन

एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से भिन्न जिसे नियम 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है या वह व्यक्ति जिसे नियम 17 के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है, धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहता है **प्ररूप जीएसटी आरईजी-16** में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस तारीख जिसकी रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, को स्टाक में धारित इनपुट ब्यौरे या स्टाक में धारित अर्ध तैयार या तैयार माल में अन्तर्विष्ट निवेश और स्टाक में धारित पूंजी माल, उस पर दायित्व ऐसे दायित्व के विरुद्ध किए गए संदाय के ब्यौरे यदि कोई हो, वारंट रद्दकरण की घटना घटित होने के तीस दिवसों की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर सुसंगत दस्तावेजों से समर्थित आवेदन के साथ या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा;

¹[.....]

1 अधिसूचना क्रमांक 3/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा परंतुक विलोपित (प्रभावशील दिनांक 23.01.2018)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"परन्तु रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कोई आवेदन, कराधेय व्यक्ति की दशा में, जो रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पहले रजिस्ट्रीकृत किया गया है स्वीकार नहीं किया जाएगा।"